न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर

बइजलास – श्री मनोज कुमार, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 62/2018

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट
चुका देवी पत्नी खेराजराम जाति जाट निवासी ग्राम रामपुरा अ तहसील जायल जरिये खेराजराम पुत्र रामजीवण जाति जाट निवासी ग्राम रामपुरा अ तहसील जायल।		राज. सरकार जरिये तहसीलदार जायल।

उपस्थिति :–

1. श्री रामकिशोर मुण्डेल अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री ओमप्रकाश पूनिया राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट की ओर से।

निर्णय

दिनांकः 09.11.2020

{1}–मामलें के संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने यह अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत तहसीलदार, जायल द्वारा धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण संख्या 405/2016 सरकार बनाम खेराजराम में निर्णय दिनांक 22.11.2016 के तहत मौजा रामपुरा अ के खसरा नं. 916/1833 गै.मु. बारानी–1 भूमि से बेदखली व शास्ति से असंतुष्ट होकर दिनांक 3.1.18 को प्रस्तुत की गई है। अपीलान्ट की अपील दिनांक 05.01.2018 को मियाद के बिन्दु पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन सुनवाई हेतु तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड मंगवाया गया। अपीलान्ट द्वारा अपनी अपील के समर्थन में तहसीलदार जायल के प्रकरण सं. 405/16 सरकार बनाम खेराजराम के फर्द अहकाम की फोटोप्रति, नोटिस की फोटोप्रति तथा निर्णय दिनांक 22.11.16 की फोटोप्रति पेश की गई। रेस्पोडेन्ट की ओर से श्री ओमप्रकाश पूनिया राजकीय वकील उपस्थित हुए।

{2}–उभयपक्ष के वकुलाय की बहस सुनी गई। अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक द्वारा मियाद के बिंदु पर बताया गया कि मामला हाजा मे प्रार्थी के पति खेराजराम के विरूद्व पटवारी दुगोली ने धारा 91 राज. भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत कार्यवाही प्रारंभ कर उसी दिन ही दिनांक 22.11.16 को सरसरी तौर पर निर्णय पारित कर दिया, तत्पश्चात प्रार्थी के पति कमाने खाने के लिये विदेश सउदी अरब चले गये। प्रार्थी को दिनांक 25.12.17 को पटवारी दुगोली ने निर्णय जैर अपील की जानकारी दी एवं बताया कि आपके बढेरो के बाडे को हटाने का निर्णय हो रखा है, तब प्रार्थी ने दिनांक 26.12.17 को प्राप्त होने पर विधिक जानकारी लेकर अपील अंदर मियाद जानकारी से न्यायालय हाजा मे पेश की। जिससे न्याय हित मे अंदर मियाद शुमार करना न्याय संगत है। जिसका राजकीय वकील द्वारा विरोध नही किया गया है। अतः मियाद के बिन्दु पर नरम रूख अपनाते हुए अपीलांट की अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है। वकील अपीलांट ने आगे अपनी अपील के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि–

{2}(I)–अधीनस्थ न्यायालय ने गैर सायल खेराजराम के विरूद्व निर्णय जैर अपील पारित कर न्याय के सामान्य सिद्वान्तो की अवहेलना कर निर्णय पारित किया जो निरस्तनीय है।

{2}(II)–तहसीलदार जायल ने अपीलांट के पति खेराजराम को जवाब कार्यवाही हाजा व साक्ष्य सबूत का अवसर नही देकर पुरातन समय के बाडे की जांच किये बिना ही निर्णय जैर अपील पारित किया। जो अपास्त किये जाने योग्य है।

{2}(III)–पटवारी दुगोली ने रिपोर्ट तहसीलदार जायल को किस दिनांक माह व वर्ष मे प्रस्तुत की, जिसका कोई उल्लेख नही है, केवल मात्र एक स्थान पर 22.11 अंकित है, जिससे यह प्रतीत होता है कि पटवारी ने दिनांक 22.11.16 को रिपोर्ट दी, उसी दिन नोटिस जारी कर गैर सायल को आदेशिका पर

अपर कलक्टर, नागौर

हस्ताक्षर करवाकर इकतरफा कार्यवाही करके निर्णय पारित कर दिया, जिससे स्पष्ट है कि निर्णय दुर्भावना से ग्रसित होकर मौके पर से भौतिक रूप से बेदखल करने का पारित किया गया, जबकि उक्त बाडा वर्ष 1975 मे तहसीलदार जायल ग्रामवासियो ने अपीलांट के ससुर रामजीवण की स्थिति को देखकर अपासी सहमति से कब्जा कराया, जो नया अतिचार नही होने से कार्यवाही हाजा का निर्णय अपास्त किये जाने के है।

{2}(IV)–मामला हाजा मे पटवारी को परीक्षित नही किया गया, एवं ना ही गैर सायल को साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर दिया गया है, इसलिये भी निर्णय जैर अपील खारिज किये जाने के है।

{2}(V)–अपीलांट के ससुर रामजीवण के खेराजराम के अलावा और भी पुत्र है, जिनका शामलाती कब्जा होने से उनको पक्षकार नही बनाया है। इसलिये भी अपील हाजा स्वीकार किये जाने के है।

{3}–राजकीय अभिभाषक द्वारा बहस के दौरान बताया गया कि अपीलांट के पति द्वारा मौजा रामपुरा अ में स्थित गै.मु. बारानी–1 भूमि पर अतिक्रमण किये जाने पर विधिवत प्रकरण दर्ज कर अपीलांट के पति को नोटिस जारी किया गया। अपीलाधीन आदेश में अपीलांट के पति को अतिक्रमी माना जाकर निर्णय जैर अपील पारित किया गया है, जो सही एवं उचित होने से यथावत कायम रखा जाना चाहिये।

{4}– उभयपक्ष के वकुलाय की बहस पर मनन किया गया। पटवारी हल्का की अतिक्रमण रिपोर्ट में आराजी भूमि वाके रामपुरा अ के खसरा नंबर 916/1833 गै.मु. बारानी–1 भूमि पर अपीलांट के पति का अतिक्रमण किया जाना अभिलेख से पाया गया। आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व अपीलान्ट के पति को विधिवत नोटिस दिया गया है। अपीलांट के पति का अधीनस्थ न्यायालय मे उपस्थित होना अभिलेख से साबित भी है। आराजी भूमि की किस्म गै.मु. बारानी–1 है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि सम्मत होने से इसमें कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नही होता है।

{5}– उपरोक्त विवेचनात्मक विवेचन के आधार पर अपीलांट की अपील खारिज की जाती है। आदेश जैर अपील कायम रखा जाता है।

{6}– निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मनोज कुमार)
अपर कलक्टर
नागौर

अपर कलक्टर, नागौर